

†[THE MINISTER OF EDUCATION (DR. K. L. SHRIMALI): (a) and (b) Two statements ('A' and 'B') are attached. (See Appendix XL, Annexure Nos. 50 and 51.)

(c) It will be observed from Statement 'A' that local arrangements were made to fill in short-term vacancies only. The posts included in Statement 'B' having been created under the University Grants Commission's scheme of 20 per cent additional Readerships in lieu of Lecturerships, no outsider can be appointed and the same have to be filled by promotion from amongst the Lecturers of the University.]

स्पोर्ट्स विलेज की स्थापना

४८१. श्री विमलकुमार मन्नालालजी
चौरङ्गिया : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल कौंसिल आफ स्पोर्ट्स ने एक स्पोर्ट्स विलेज स्थापित करने के लिये कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†[ESTABLISHMENT OF A SPORTS VILLAGE

481. SHRI V. M. CHORDIA: Will the Minister of EDUCATION be pleased to state:

(a) whether the National Council of Sports has formulated any scheme for establishing a sports village; and

(b) if so, what are the details thereof?]

शिक्षा मंत्री (डा० काललाल श्रीमाली) :

(क) और (ख) दिल्ली में 'स्पोर्ट्स विलेज' की स्थापना के सम्बन्ध में ब्यौरे तैयार करने के लिए अखिल भारतीय खेलकूद परिषद् ने एक समिति बनाई है। यह समिति 'स्पोर्ट्स

विलेज' के लिए जमीन का कब्जा मिल जाने के बाद कार्य शुरू करेगी। जमीन का कब्जा शीघ्र ही मिलने की आशा है।

†[THE MINISTER OF EDUCATION (DR. K. L. SHRIMALI): (a) and (b) The All India Council of Sports have set up a Committee to formulate the details regarding the establishment of a Sports Village in Delhi. The Committee is expected to start working after the possession of land for the Sports Village is obtained which is expected shortly.]

१९६१-६२ में कराये गये भाषण तथा सेमिनार

४८२. श्री विमलकुमार मन्नालालजी
चौरङ्गिया : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१-६२ में सांस्कृतिक कार्य विभाग द्वारा किस किस विषय पर (१) चर्चाएं, (२) भाषण और (३) सेमिनार कराये गये;

(ख) उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित भाषण, चर्चाएं आदि किस किस विषय पर तथा किस किस विशेषज्ञ के द्वारा कराई गई; और

(ग) उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित कार्यक्रमों पर कुल कितना खर्च हुआ ?

†[SEMINARS AND LECTURES ARRANGED IN 1961-62

482. SHRI V. M. CHORDIA: Will the Minister of SCIENTIFIC RESEARCH AND CULTURAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) the details of the subjects on which (i) discussions, (ii) lectures and (iii) seminars were arranged by

the Department of Cultural Affairs during the year 1961-62;

(b) the names of experts whose lectures and discussions etc. were arranged as referred to in part (a) above and the subjects on which they were arranged; and

(c) the total expenditure incurred on the programmes referred to in part (a) above?]

बैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायूँ कबिर) : (क) से (ग) इस मंत्रालय के सांस्कृतिक कार्य विभाग ने कोई चर्चियाँ, भाषण या सेमिनार नहीं कराये ।

†[THE MINISTER OF SCIENTIFIC RESEARCH AND CULTURAL AFFAIRS (SHRI HUMAYUN KABIR): (a) to (c) No discussions, lectures or seminars were arranged directly by the Department of Cultural Affairs of the Ministry.]

483. [Transferred to the 28th August, 1962.]

खान तथा ईंधन मंत्रालय के अस्थायी कर्मचारी

४८४. श्री नवाबसिंह चौहान : क्या खान तथा ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय और उस के संलग्न तथा अधीनस्थ कार्यालयों में इस समय ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनको तीन वर्ष से अधिक काम करते हो गये हैं किन्तु अभी वे अस्थायी हैं;

(ख) उनमें से कितने ऐसे हैं जिन्हें ५, १० व १५ वर्ष काम करते हो गये हैं; और

(ग) कुल अस्थायी कर्मचारियों की संख्या कितनी है व उनको कब तक व किस प्रकार स्थायी किया जायेगा ?

†[TEMPORARY EMPLOYEES IN MINES AND FUEL MINISTRY

484. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN: Will the Minister of MINES AND FUEL be pleased to state:

(a) the number of employees in his Ministry and its attached and subordinate offices at present who have put in more than three years of service but are still temporary;

(b) the number of such employees amongst them who have put in 5, 10 or 15 years of service; and

(c) the total number of temporary employees and the time by when and the manner in which they would be confirmed?]

खान तथा ईंधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) १,७०२ ।

(ख) ७७२, ६१ तथा १५८ क्रमशः ।

(ग) ३,६४८ ।

स्थायी करने के बारे में स्थिति निम्न प्रकार है :—

(१) मंत्रालय का सचिवालय—

४० अस्थायी कर्मचारियों में से २४ अवर श्रेणी क्लर्क (Lower Division Clerk) ३ आशुलिपिक तथा १३ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं । गृह मंत्रालय द्वारा अवर श्रेणी क्लर्कों और आशुलिपिकों को उनकी क्रमशः सेवा स्कीमों के उपबन्धों के अनुसार स्थायी किया जाता है । १३ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में से १० कर्मचारियों का मामला विचाराधीन है और उनको शीघ्र ही स्थायी किया जायेगा । एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मुअत्तल है । शेष दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नियत शिक्षा प्राप्त नहीं किये हुए हैं । अतः वे अभी स्थायी होने के योग्य नहीं हैं ।